



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220316
CG-DL-E-01072020-220316

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]
No. 239]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ 10, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASADHA 10, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

सं. एल-1/246/2019/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 है।

(2) ये विनियम उन अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगे, जिनके पारेषण प्रभार अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं या अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकार किए गए हैं।

(3) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(3) दूरसंचार कारोबार के संबंध में "सकल राजस्व" से वित्तीय वर्ष के दौरान इस कारोबार से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लाभ और हानि लेखा-विवरण में अभिज्ञात सकल राजस्व अभिप्रेत है;

(4) “दीर्घकालिक ग्राहक” का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना और सहबद्ध मामले) विनियम, 2009 में परिभाषित है;

(5) “प्रचालन एवं रखरखाव खर्चों” या “ओ एंड एम खर्चों” का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 में परिभाषित है;

(6) “अन्य कारोबार” से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूरसंचार कारोबार सहित पारेषण कारोबार से भिन्न किया गया कोई अन्य कारोबार अभिप्रेत है;

(7) “दूरसंचार कारोबार” से पारेषण आस्तियों को उपयोग करने के द्वारा दूरसंचार सेवाओं का कारोबार अभिप्रेत है:

बशर्ते कि “दूरसंचार सेवा” का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (1) के उप-खंड (ट) में परिभाषित है;

(8) “पारेषण आस्तियाँ” से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में आस्तियाँ अभिप्रेत हैं;

(9) “पारेषण कारोबार” से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के संनिर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है;

(10) “पारेषण अनुज्ञप्तिधारी” का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 73 के खंड (2) के अधीन परिभाषित है।

3. निर्वचन: इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) किन्हीं अधिनियमों, नियमों और विनियमों के संदर्भ में उनके संशोधन, समेकन या पुनःअधिनियमिति सम्मिलित होंगे।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों, पदों, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों में है।

4. अन्य कारोबार की सूचना: (1) अन्य कारोबार को आरंभ करने वाला पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना देगा:

बशर्ते कि यदि अन्य कारोबार दूरसंचार कारोबार नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी याचिका दायर करने के द्वारा ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्वों की शेयरिंग के संबंध में आयोग से पूर्व अनुमोदन मांगेगा;

बशर्ते कि इन विनियमों के आरंभ से पूर्व अन्य कारोबार आरंभ करने वाला पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, इन विनियमों के प्रभाव में आने के दो माह के अंदर पूर्व सूचना देगा या अनुमोदन मांगेगा।

(2) इस विनियम के खंड (1) के संबंध में सूचना देते या अनुमोदन मांगते समय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:

(क) अन्य कारोबार की प्रकृति;

(ख) अन्य कारोबार के लिए उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित पारेषण आस्तियाँ;

(ग) उपयोग की गई या उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित ऐसी पारेषण आस्तियों की लागत;

(घ) अन्य कारोबार से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न किया जाने वाला प्राक्कलित राजस्व;

(ङ) प्राक्कलित राजस्व के लिए आधारभूत मान्यताएँ और स्पष्टीकरण;

(च) विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के संबंध में अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग का प्रभाव, यदि कोई हो;

(छ) आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण।

(3) इस विनियम के खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करना होगा।

5. अन्य कारोबार से राजस्व के शेयरिंग की रीति: (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार से राजस्व की शेयरिंग निम्नलिखित रीति से करेगा:

(क) **दूरसंचार कारोबार:** यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार कारोबार करता है, तो उस वित्तीय वर्ष में ऐसे कारोबार से सकल राजस्व के 10% के बराबर की राशि दीर्घकालिक ग्राहकों के साथ शेयर की जाएगी।

(ख) **दूरसंचार कारोबार के अलावा कारोबार:** यदि अन्य कारोबार दूरसंचार कारोबार नहीं है, तो आयोग द्वारा राजस्व की शेयरिंग का निर्णय इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन ऐसे अन्य कारोबार में प्रयुक्त पारेषण

आस्तियों, ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त या प्राप्ति होने के अनुमानित राजस्व तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य विवरणों पर आधारित मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि आयोग राजस्व की शेयरिंग की रीति निर्धारित करने से पूर्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और दीर्घकालिक ग्राहकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

6. पारेषण प्रभारों में कटौती: इन विनियमों के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शेयर किए जाने वाले राजस्व को पारेषण आस्तियों के दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को देय पारेषण प्रभारों के अनुपात में उनके द्वारा देय मासिक पारेषण प्रभारों की कटौती के लिए उपयोग किया जाएगा:

बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के शेयर किए जाने वाले राजस्व पर मासिक पारेषण प्रभारों की कटौती के लिए विचार किया जाएगा।

7. लेखाओं को बनाए रखना: (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक अन्य कारोबार के लिए पृथक लेखा बनाए रखेगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 31 अक्टूबर तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग को तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा लेखाओं के नोट की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

8. प्रतिबंध: (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपनी पारेषण आस्तियों को अन्य कारोबार की सहायता में भारग्रस्त नहीं करेगा।

(2) अन्य कारोबार से संबंधित कोई लागत या राजस्व पारेषण कारोबार की लागत या राजस्व में नहीं जोड़ा जाएगा।

(3) अन्य कारोबार के लिए प्रयुक्त पारेषण आस्तियों, किसी भी प्रकार से, विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

(4) यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण आस्तियों का उपयोग करने वाले अन्य कारोबार में जुटने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापरिभाषित किसी सहायक कंपनी का गठन करना चाहता है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से पूर्व अनुमोदन मांगेगा;

बशर्ते कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सहायक कंपनी के कारण किसी अतिरिक्त लागत या हानियों या क्षतियों के लिए दीर्घकालिक ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करेगा।

9. आयोग की शक्तियाँ: (1) आयोग अन्य कारोबार के लिए उपयोग की जा रही पारेषण आस्तियों की सीमा के निर्धारण, अन्य कारोबार से प्राप्त किए जा रहे राजस्व के लिए तथा अधिनियम, इनके अधीन नियमों तथा इन विनियमों के अनुपालन के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं, रिकार्ड और आस्तियों के निरीक्षण तथा सत्यापन का किसी भी समय निदेश दे सकता है।

(2) आयोग ऐसा निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी समुचित समझी जाएं, अपने किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आयोग, इस विनियम के खंड 2 के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण आस्तियों के दीर्घकालिक ग्राहकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा जैसे वह समुचित समझे।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो अधिनियम के उपबंधों या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं, और जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभाव देने में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक लगे।

11. आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के उपबंध इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के लिए लागू होंगे।

12. निरसन और व्यावृत्तियाँ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2007 निरस्त किया जाता है।

(2) इस प्रकार के निरसन से, ऐसे निरसित विनियमों के अधीन कुछ भी किया गया या किसी उद्देश्य से किया जाने वाला, इन विनियमों के अधीन किया गया या किसी उद्देश्य से किया जाने वाला माना जाएगा।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 96 / 2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2020

No. L-1 /246/2019/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title, extent and commencement. (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue Derived from Utilization of Transmission Assets for Other Business) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall be applicable to the inter-State transmission licensees, whose transmission charges are determined by the Commission under Section 62 of the Act or adopted by the Commission under Section 63 of the Act.

(3) These regulations shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions.

(1) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) “**Commission**” means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(3) “**gross revenue**” in respect of telecommunication business means the gross revenue recognized in the profit and Loss of the transmission licensee from such business during a financial year;

(4) “**long term customer**” shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009;

(5) “**Operations and Maintenance Expenses**” or “**O&M Expenses**” shall have the same meaning as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019;

(6) “**other business**” means any business including telecommunication business other than the transmission business, carried out by a transmission licensee;

(7) “**telecommunication business**” means any business of telecommunication services by utilizing transmission assets:

Provided that “**Telecommunication Service**” shall have the same meaning as defined in sub-clause (k) of clause (1) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997;

(8) “**transmission assets**” means any assets forming part of the inter-State transmission system;

(9) “**transmission business**” means the business of construction, operation and maintenance of the inter-State transmission system;

(10) “**transmission licensee**” shall have the same meaning as defined under clause (2) of Section 73 of the Act.

3. Interpretations: In these regulations, unless the context otherwise requires:

(1) Reference to any Act, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

(2) Words and expressions occurring in these regulations and not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in the Act or other regulations of the Commission.

4. Intimation of other business:(1) A transmission licensee proposing to undertake business shall give prior intimation to the Commission:

Provided that if other business is not telecommunication business, the transmission licensee shall seek prior approval of the Commission by filing a petition, as regards sharing of revenues derived from such other business;

Provided further that a transmission licensee having undertaken other business before commencement of these regulations shall within two months of coming into force of these regulations.

(2) While giving intimation or seeking approval in terms of clause (1) of this regulation, the transmission licensee shall furnish on affidavit, the following details:

- (a) nature of other business;
- (b) transmission assets utilized or proposed to be utilized for other business;
- (c) cost of such transmission assets utilized or proposed to be utilized;
- (d) revenue derived or estimated to be derived from other business;
- (e) underlying assumptions and justifications for estimated revenue;
- (f) impact, if any, of use of transmission assets for other business on inter-State transmission of electricity; and
- (g) any other details required by the Commission.

(3) The details specified under clause (2) of this regulation shall thereafter be furnished by the transmission licensee to the Commission for every financial year.

5. Manner of sharing of revenue from other business:(1) The transmission licensee shall share the revenue from the other business in the following manner:

- (a) **Telecommunication business:** In case the transmission licensee engages in telecommunication business, an amount equal to 10% of the gross revenue from such business in a given financial year shall be shared with the long term customers.
- (b) **Business other than telecommunication business:** In case other business is not telecommunication business, the sharing of revenue shall be decided by the Commission on case-to-case basis based on transmission assets utilized for such other business, the revenue derived or estimated to be derived from such other business and other details furnished by the transmission licensee under Regulation 4 of these regulations:

Provided that the Commission shall provide an opportunity of being heard to the transmission licensee and the long term customers of the assets before deciding the manner of sharing of revenue.

6. Reduction in Transmission Charges: The revenue to be shared by the transmission licensee in accordance with these regulations shall be utilised towards reduction of monthly transmission charges payable by the long term customers of the transmission assets in proportion to the transmission charges payable by them to the transmission licensee:

Provided that for a financial year, the revenue to be shared of the previous financial year shall be considered for reduction of monthly transmission charges.

7. Maintenance of accounts:(1) The transmission licensee shall maintain separate accounts for each of the other businesses.

(2) The transmission licensee shall submit copies of the Balance Sheet, of Profit and Loss, auditor's reports and notes on accounts to the Commission for every financial year by 31st October.

8. Restrictions: (1) The transmission licensee shall not in any way, directly or indirectly, encumber its transmission assets to support other business.

(2) Any cost or revenue relating to other business shall not be added to the cost or revenue of the transmission business.

(3) Transmission assets utilised for other business shall not, in any manner, adversely affect inter-State transmission of electricity.

(4) In case the transmission licensee intends to form a subsidiary company, as defined under Companies Act, 2013, for engaging in other business utilizing the transmission assets, the transmission licensee shall seek prior approval of the Commission:

Provided that the transmission licensee shall indemnify the long term customers for any additional cost or losses or damages due to such subsidiary company.

9. Powers of the Commission: (1) The Commission may at any time direct inspection and verification of accounts, records and assets of the transmission licensee for assessment of the extent of the transmission assets being utilised for other business, revenue being derived from other business and for compliance of the Act, Rules thereunder and these regulations.

(2) The Commission may authorise any of its officers or any other person subject to such conditions as it may consider appropriate, to carry out such inspection and verification.

(3) The Commission may, after considering the report submitted in pursuance to clause 2 of this regulation and after providing an opportunity of being heard to the transmission licensee and the long term customers of the transmission assets, pass such orders as it may consider appropriate.

10. Power to remove difficulties: If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by a general or special order, issue such directions, not inconsistent with the provisions of the Act or other regulations specified by the Commission, which may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

11. Proceedings before the Commission: The provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 shall apply to the proceedings before the Commission under these regulations.

12. Repeal and Saving: The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue derived from utilisation of transmission assets for other business) Regulations, 2007 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

SAROJ KUMAR JHA, Secy.

[ADV.T. III/4/Exty./96/2020-21]